"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 मार्च 2009— चैत्र 6, शक 1931

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं श्रीमती डी. रमादेवी पति श्री डी. प्रमोद कुमार, उम्र 44 वर्ष, निवासी रेल्वे क्वार्टर नं.512/बी, जोन-1, बी. एम. वाय. चरौदा, तहसील पाटन, जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर श्रीमती डी. वेनेशा रख ली हूं. तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपत्र-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती डी. वेनेशा पति श्री डी. प्रमोद कुमार के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम
श्रीमती डी. रमादेवी
पिता श्री डी. प्रमोद कुमार
निवासी-रेल्वे क्वार्टर नं. 512/बी,
जोन-1, बी. एम. वाय. चरौदा
तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम
श्रीमती डी. वेनेशा
पिता श्री डी. प्रमोद कुमार
निवासी-रेल्वे क्वार्टर नं. 512/बी,
जोन-1, बी. एम. वाय. चरौदा
तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं राजेश श्रीवास आत्मज श्री जयराम श्रीवास, उम्र 38 वर्ष, निवासी क्वा. नं. 2, टाइप-3, टेलीफोन एक्सचेंज कालोनी, सेक्टर 1, भिलाई, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं अपने उपनाम श्रीवास को परिवर्तित कर राजेश रंजन रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपत्र-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे राजेश रंजन आत्मज श्री जयराम श्रीवास के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम

राजेश श्रीवास
आत्मज श्री जयराम श्रीवास
निवासी-क्वा. नं. 2, टाइप 3,
टेलीफोन एक्सचेंज कालोनी
सेक्टर 1, भिलाई
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

राजेश रंजन
आत्मज श्री जयराम श्रीवास
निवासी-क्वा. नं. 2, टाइप 3,
टेलीफोन एक्सचेंज कालोनी
सेक्टर 1, भिलाई
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं भीम सिंह आत्मज श्री मगतूराम कंवर, निवासी-ग्राम भुनेश्वरपुर, तहसील कुसमी, जिला सरगुजा हाल मुकाम-बी.-1/59, दीनदयाल उपाध्याय नगर, रायपुर तह. व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूं. मैं अपने नाम के साथ उपनाम को जोड़कर अपना परिवर्तित नाम भीम सिंह कंवर रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपत्र-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे भीम सिंह कंवर आत्मज श्री मंगतूराम कंवर के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम

भीम सिंह
आत्मज श्री मंगतू राम कंवर
निवासी-ग्राम भुनेश्वरपुर
तहसील-कुसमी
जिला-सरगुजा (छ. ग.)

नया नाम

भीम सिंह कंवर
आत्मज श्री मंगतू राम कंवर
निवासी-ग्राम भुनेश्वरपुर
तहसील-कुसमी
जिला-सरगुजा (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं अनिल अल्वा आत्मज श्री थदाराम, उम्र 24 वर्ष निवासी-मार्फत एस. एस. सैनी, मकान नं. 118, दीपक नगर दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं अपने उपनाम को परिवर्तित कर अपना नाम अनिल पंजाबी रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपत्र-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे अनिल पंजाबी आत्मज श्री थदाराम के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम

अनिल अल्वा
आत्मज श्री थदाराम
निवासी-मार्फत एस. एस. सैनी
मकान नं. 118, दीपकनगर दुर्ग
तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

अनिल पंजाबी
आत्मज श्री थदाराम
निवासी-मार्फत एस. एस. सैनी
मकान नं. 118, दीपकनगर दुर्ग
तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं सुनील कुमार आत्मज श्री के. एस. रघुवंशी, आयु 38 वर्ष, निवासी क्वा. नं. 26 ए., क्रास स्ट्रीट-1, सेक्टर 1, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं अपने नाम के साथ उपनाम को जोड़कर अपना नाम सुनील कुमार रघुवंशी रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपत्र-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे सुनील कुमार रघुवंशी आत्मज श्री के. एस. रघुवंशी के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
सुनील कुमार आत्मज श्री के. एस. रघुवंशी निवासी-क्वा. नं. 26 ए, क्रास स्ट्रीट 1 सेक्टर 1, भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	सुनील कुमार रघुवंशी आत्मज श्री के. एस. रघुवंशी निवासी-क्वा. नं. 26 ए, क्रास स्ट्रीट 1 सेक्टर 1, भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास, अनुविभाग अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ. ग.)

अम्बिकापुर, दिनांक 27 फरवरी 2009

प्रारूप-चार
[नियम 5(1) देखिये]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) तथा छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 का उपनियम (1) देखिए]

क्रमांक /379/वाचक-1/2008.— यह कि श्री भवानी शंकर सिंह आ. स्व. उद्धव सिंह, निवासी शिवधारी कालोनी, अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा ने छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 की धारा 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई संपत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 31-03-2009 को विचार के लिए लिया जाएगा.

कोई भी व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, उसके लिए गठित की जाती है.

अत: मैं, चंदन संजय त्रिपाठी, अनुविभाग अम्बिकापुर के लोक न्यासों की पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 31-03-2009 को उक्त अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करती हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी का कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी मत या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक पक्ष के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करें और मेरे न्यायालय में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्ति या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए उपरोक्त अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता और संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम और पता	:	शिवायन मंदिर ट्रस्ट, शिवधारी कालोनी, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा
2.	चल संपत्ति	:	78735.00 रुपये
3.	अचल संपत्ति	:	ग्राम-फुन्दूरडिहारी स्थित भूमि ख. क्र. 430/1 में से रकबा 0.10 एकड़

जारी दिनांक 27-02-2009

श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी,
पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव (छ. ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 4 मार्च 2009

क्रमांक/134/उपंरा/परिसमापन/2009.—चूंकि कार्यालयीन आदेश क्रमांक /उपंरा/परिसमापन/879, दिनांक 13-7-2001 के तहत शासकीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, राजनांदगांव, पंजीयन क्रमांक 90, दिनांक 23-11-1988 जिला राजनांदगांव को छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के विहित प्रावधानों के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर इसी अधिनियम की धारा 70(1) के अधीन श्री बी. आर. सोनी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है और उक्त संस्था के परिसमापक ने नियमानुसार उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71(3) के प्रावधानों के अधीन अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है तथा परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के तथ्यों से मैं संतुष्ट हूं एवं उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक एवं वांछनीय पाता हूं.

अत: मैं, एस. एल. विश्वकर्मा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक /एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ. ग. की शक्तियों का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 18 की उपधारा (1) एवं (2) के विहित प्रावधानों के अंतर्गत शासकीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित राजनांदगांव, पंजीयन क्रमांक 90, दिनांक 23-11-1988 जिला राजनांदगांव का पंजीयन निरस्त करता हूं तथा उक्त संस्था का निगमित निकाय (बाडी कारपोरेट) आज दिनांक 04-3-2009 से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 04-3-2009 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

एस. एल. विश्वकर्मा,
उप पंजीयक.

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 20 फरवरी 2009

[छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/परिसमापन/2009/213.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/382/बिलासपुर दिनांक 15-3-2007 के तहत महामाया उपभोक्ता भंडार सहकारी समिति मर्यादित, तिलक नगर बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 3652 दिनांक 30-3-95 विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत श्रीमति शोभा बंदे, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक /एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी, दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित है का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 20-2-2009 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 2 मार्च 2009

[छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/परिसमापन/2008/239.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/1818/बिलासपुर दिनांक 16-9-2008 के तहत महिला खादी ग्रामोद्योग सहकारी समिति मर्यादित, चांटापारा बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 2735 दिनांक 7-8-63 विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत श्री एल. एल. ध्रुव, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक /एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी, दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित है का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 2-3-2009 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 2 मार्च 2009

[छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/परिसमापन/2008/240.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/1822/बिलासपुर दिनांक 16-9-2008 के तहत मोटर ट्रांसपोर्ट इम्प्लाईज सहकारी समिति मर्यादित, बिलासपुर छ. ग., पंजीयन क्रमांक 2117 दिनांक 28-10-58 विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत श्री एल. एल. ध्रुव, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक /एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी, दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित है का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 2-3-2009 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 2 मार्च 2009

[छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/परिसमापन/2008/241.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/1817/बिलासपुर दिनांक 16-9-2008 के तहत वेटर लिमिट सहकारी समिति मर्यादित, बिलासपुर छ. ग., पंजीयन क्रमांक 537 दिनांक .... विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत श्री एल. एल. ध्रुव, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक /एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी, दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित है का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 2-3-2009 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 5 मार्च 2009

[छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/परिसमापन/2009/262.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/209/बिलासपुर दिनांक 15-2-2007 के तहत आकांक्षा फुटपाथ व्यवसायी साख बचत सहकारी समिति मर्यादित, तारबाहर बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 3737 दिनांक 23-7-96 विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत श्री एम. के. बंदे, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक /एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी, दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित है का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 5-3-2009 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

एन. कुजूर,
सहायक पंजीयक.

कार्यालय, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं (अंकेक्षण), बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2008

क्र./परिसमापन/08/क्यू.— छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के उपनियम 57(5) के तहत परिसमापन की कार्यवाही हेतु सर्वसाधारण के लिये सूचना प्रकाशित की जाती है कि स्वामी विवेकानंद नगर पालिक निगम कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., बिलासपुर छ. ग., पं. क्र. 41 दिनांक 29-09-82 के दावेदार/लेनदार अपने दावे मय लिखित में प्रमाण 60 दिन के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा उपलब्ध अभिलेख एवं जानकारी के आधार पर परिसमापन की कार्यवाही की जावेगी.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास संस्था का रिकार्ड/संपत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप दें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

दिनांक 07-03-2009

एम. आर. ध्रुव,
व. स. नि. एवं परिसमापक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2009.